न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 207/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/227)

रामजीलाल पुत्र बद्री जाति माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार तलावडा तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुरसिटी मुं.नं. 12/18 निर्णय दिनांक 19.07.2019 (अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट) व नायब तहसीलदार तलावड़ा मु0नं 499/15 रामजीलाल बनाम सरकार निर्णय दिनांक 21.09.2015 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुरसिटी के निर्णय दिनांक 19.07.2019 व नायब तहसीलदार तलावड़ा के निर्णय दिनांक 21.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा ने आदेश दिनांक 21.09.2015 से अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 627 के रकबा 0.19 रकबा किस्म गै0मु0 नाला वाकै ग्राम तलावडा पर सम्वत 2072 में अनाधिकृत रूप से फसल बाजरा काश्त किये जाने का अतिक्रमी मानते हुये 91 एल.आर.एक्ट के तहत अपीलान्ट को वेदखल किया जाकर विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये साथ ही अपीलान्ट को पाश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण 60 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुरसिटी के समक्ष की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुरसिटी के द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2019 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा नायब तहसीलदार तलावडा का निर्णय यथावत रखा गया। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील रैस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि दोनों अदालत मातहतों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.09.2015 व 19.07.2019 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्वर 1221, 1614/450, 457, 613, 614, 1617/452, 1668/1220 वाकै ग्राम तलावडा में स्थित है, जिसके साथ लगी हुई सरकारी भूमि खसरा नम्बर 627 रकबा 0.09 है0 गै0मु0 नाले की भूमि है। जिस पर अपीलान्ट का कब्जा होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा किये जाने पर नायब तहसीलदार तलावड़ा द्वारा अपीलान्ट को धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस जारी किये गये। जिस पर अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि व नाले की भूमि मिली हुई है अपीलान्ट की भूमि का सीमाज्ञान कर अपीलान्ट को उसकी सीमा बता दी जावे। अपीलान्ट का वर्तमान में भी अपनी खातेदारी की भूमि पर ही कब्जा है। पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा कई बार कहने के बाबजूद अपीलान्ट का भूमि की नाप तोल कर यह नहीं बताया कि मौके पर अपीलान्ट की भूमि कहां होकर है इसलिऐ अपीलान्ट पूर्वानुसार अपनी भूमि को काश्त करता चला आ रहा है, परन्तु नायब तहसीलदार तलावड़ा द्वारा अपीलान्ट को धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दिए गए नोटिस व पटवारी के कथनों को सही मानते हुये तथा मौके की वास्तविक स्थिति की जॉच किये बिना उक्त उनवानी प्रकरण में दण्डित करते हुये 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा व वेदखली का आदेश दिनांक 21.09.2015 को पारित कर दिया है। जिससे पीडित होने के कारण अपीलान्ट ने उक्त निर्णय दिनांक 21.09.2015 की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय में की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी ने अपीलान्ट के आवेदन पर विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई पटवारी हल्का द्वारा जब पुनः मौका रिपोर्ट बनाई गई, उस समय भी पटवारी हल्का से अपीलान्ट ने कहा कि मुझे पहले यह तो बताओ कि सरकारी भूमि कहां है और मेरी भूमि कहां है पर पटवारी हल्का ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा पुनः सरकारी भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा बताते हुये रिपोर्ट नायब तहसीलदार को पेश कर दी तथा नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट का कब्जा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर बताते हुये रिपोर्ट अपीलाधीन न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुरसिटी को भेज दी तथा उक्त रिपोर्ट को सही मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2019 से खारिज किया है, जो कि मौका व रिकार्ड के विपरित है, क्योंकि अदालत मातहत ने अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए नायब तहसीलदार तलावडा व अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुरसिटी की ओर से पारित आदेश विधि विरूद्ध व न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ व अपीलेट न्यायालय द्वारा इस ओर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मौके पर अपीलान्ट की खातेदारी व विवादित सरकारी भूमि मिली हुई है तथा अपीलान्ट की भूमि व सरकारी भूमि के बीच में

किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा कई बार तहसीलदार व हल्का पटवारी के समक्ष बार–बार सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया गया है, किन्तु सीमाज्ञान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा अपीलान्ट को बेवजह 60 दिवस का सिविल कारावास की सजा से दण्डित भी किया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को तहत अदालत ने बिना कोई परीक्षण किये तथ्यों के विपरीत खारिज किया है, जो कि अपीलान्ट के न्यायिक हितों पर कुठाराघात है। इसलिऐ हर दो तहत अदालतों का आदेश काबिले मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को उसकी खातेदारी की भूमि से बेदखल करने की पटवारी हल्का की मंशा को पूर्ण करने के लिये उक्त निर्णय पारित किये गये है, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का से अपीलान्ट की भूमि की पैमायश/सीमाज्ञान के लिये कई बार निवेदन किया गया जिससे परेशान होकर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी तथा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट को बिना किसी वास्तविक स्थिति की जांच के सही मानकर दोनो तहत अदालतों द्वारा अपीलान्ट को दोषी मान लिया है। जबकि अपीलान्ट केवल अपनी निजी खातेदारी की जमीन पर ही काबिज है अपीलान्ट किसी सरकारी भूमि पर काबिज नहीं है फिर भी सीमा चिन्हों के अभाव में यदि सरकारी भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलान्ट तुरन्त सरकारी भूमि से अपना कब्जा हटा लेगा जिसके लिये तहसीलदार गंगापुर सिटी की अध्यक्षता में अपीलान्ट की भूमि सरकारी भूमि का सीमाज्ञान कर सीमा चिन्हों से अपीलान्ट को अवगत करवा दिया जावे। अपीलान्ट द्वारा कभी किसी सरकारी भूमि पर कब्जा किया है ना है ना कभी ऐसी मंशा रखता है। हर दो तहत अदालतों ने केवल इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आदेश पारित करने से पूर्व यदि सीमाज्ञान हो जाता तो वस्तुस्थिति सामने आ जाती व प्रकरण ड्रॉप हो जाता। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया है। जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि अपीलान्ट की अपील तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुरसिटी में चल रही थी तथा वकील साहब ने कहा कि अभी अपील के निर्णय में समय लगेगा। अपीलान्ट को हर तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होने पर सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अपीलान्ट अपने वकील के कहे अनुसार तारीख पेशी पर नहीं आया तथा इसी दरम्यिान अपीलान्ट की उक्त अपील का निर्णय दिनांक 19.07.2019 को हो गया, परन्तु अपीलान्ट के वकील साहब द्वारा उक्त निर्णय की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी काफी समय हो जाने के कारण अपीलान्ट दिनांक 10.11.2019 जब अपने वकील से मिला तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे प्रकरण में हुये निर्णय की सूचना नहीं दे सका तुम्हारे प्रकरण का निर्णय दिनांक 19.7.2019 को हो चुका है तथा अपील खारिज हो गई है। अब पुनः अपील करनी पडेगी निर्णय की नकल लेनी पडेगी इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 14.11.2019 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुरसिटी में गया तथा अपनेप्रकरण की जानकारी की तो पता चला कि प्रकरण का निर्णय दिनांक 19.07.2019 को हो चुका है इस पर अपीलान्ट ने अन्य वकील से उसी दिन निर्णय

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 15.11.2019 को निर्णय की नकल प्राप्त हुई तो वकील साहब ने कहा कि तुम्हारे प्रकरण की अपील भरतपर न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय के यहां होगी इस पर अपीलान्ट अपने पूर्व वकील से मिला तो उन्होंने कहा कि उक्त निर्णय के विरूद्ध भरतपुर में अपील होगी या सवाई माधोपुर में होगी यह मैं जानकारी करके बता दूंगा तुम मुझ से 5–7 दिन में आकर मिल लेना। इस पर अपीलान्ट पुनः अपने पूर्व वकील से दिनांक 09.12.2019 को मिला तो उन्हौने कहा कि नया कानून आया है तथा अपील संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में ही होगी इस पर अपीलान्ट ने वकील साहब से कहां कि आप मुझे मेरी सम्पूर्ण फाईल दे दो में भरतपुर चला जाऊंगा इस पर उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करना कि शनिवार को घर आ जाना फाईल दे दूंगा। अपीलान्ट दिनांक 14.12.2019 को अपनी मुकदमें की फाईल लेकर दूसरे वकील से मिला तथा अदालत हाजा में अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की गई है। अपीलान्ट गरीब व अनपढ व्यक्ति है, जो कानूनी कार्यवाही से अनभिज्ञ है अपील पेश करने में अपीलान्ट द्वारा जानबूझ कर देरी नहीं की है। अपील पेश करने में हुआ डिले कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर नायब तहसीलदार तलावड़ा की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2015 व अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पारित निर्णय दिनांक 19.07.2019 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2015 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 17.12.2019 को मियाद बाहर अपील पेश की गई है। मियाद बाहर अपील पेश किये जाने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मियाद बाहर अपील पेश किये जाने के संबंध में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को मीमो आफ अपील व प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व अपीलाधीन निर्णय के संबंध में जानकारी रही हो। इसके अलावा मियाद के बिन्दु के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दुओं पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दुओं पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए। चूंकि उपरोक्त प्रकरण

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

में अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो नायब तहसीलदार तलावड़ा की अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के द्वारा खसरा नंबर 627 रकबा 0.09 किस्म गैर मुमकिन नाला ग्राम तलावड़ा द्वारा बाजरे की फसल बोकर अतिक्रमण किये जाने व पश्चातवर्ती अतिचार होने के संबंध में नायब तहसीलदार तलावड़ा को रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार की ओर से अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिसमें दिनांक 21.09.2015 को उपस्थित होकर पक्ष रखने की अपेक्षा की गई। इस नोटिस की अपीलान्ट पर असालतन तामील होने के बाबजूद भी नियत पेशी को अपीलान्ट के अदालत मातहत में उपस्थित नहीं होने पर नायब तहसीलदार तलावड़ा द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2015 पारित किया है। जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया है। कि पटवारी हल्का ने अपने बयानों में यह बताया कि अतिक्रमी ने उक्त आराजी पर कृषि वर्ष सम्वत् 2072 से पूर्व का अतिक्रमण है। जिसके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किये जाने के संबंध में सहमति के हस्ताक्षर भी किये गये थे। पटवारी हल्का द्वारा दिये गये बयानों को आधार मानकर नायब तहसीलदार तलावड़ा ने अपीलान्ट को विवादित भूमि से बेदखल करने व 50 गुना शास्ती आरोपित करने के साथ–साथ पश्चातवर्ती अतिचारी होने के कारण 2 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.07.2019 को पारित किया है। जिसमें यह उल्लेख किया है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 01.07.2019 के अनुसार भी मौके पर वर्तमान में अपीलान्ट रामजीलाल का अतिक्रमण है। उसके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया है। इस आधार पर यह मानते हुए पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर सजा से दण्डित किया गया है, को उचित नहीं मानकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है। जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी के द्वारा नायब तहसीलदार तलावड़ा से विवादित भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में नायब तहसीलदार द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी को पत्र दिनांक 01.07.2019 के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट भिजवाई गई कि विवादित खसरा नंबर 627 रकबा 0.09 है0 किस्म गैर मुमकिन नाला वाकै ग्राम तलावड़ा में अपीलान्ट रामजीलाल पुत्र बद्री माली का मौके पर कब्जे काश्त बाबत पटवारी

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

हल्का से जॉच कराई गई। मौके पर वर्तमान में अपीलान्ट रामजीलाल का कब्जा है। अपीलान्ट द्वारा मौके से कब्जा नहीं हटाया गया। उक्त रिपोर्ट के संबंध में अपीलान्ट की ओर से किसी तरह का कोई प्रतिवाद अधीनस्थ न्यायालय में नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जहां तक अपीलान्ट की खातेदारी के पास विवादित भूमि पर अतिक्रमण होने व सीमाज्ञान नहीं होने के कारण उक्त भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का प्रश्न है तो अपीलान्ट सीमाज्ञान हेतु सक्षम कार्यालय में आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है, परन्तु इस आधार पर की विवादित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी के पास है एवं यह भूमि अलग से नहीं है। इस कारण अतिक्रमण किया गया है, को उचित नहीं कहा जा सकता है। विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार होने के संबंध में पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में पश्चातवर्ती अतिचार होने का उल्लेख किया है तथा अदालत मातहत में दिए गए बयानों में भी इस तथ्य की पुष्टि की है व पूर्व के वर्ष में किये गये अतिक्रमण के फलस्वरूप बेदखल किये जाने का उल्लेख भी अपील रिपोर्ट में किया है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है। अपीलान्ट की ओर से अभी भी इस आशय का कोई रिकार्ड या दस्तावेज पेश नहीं किया कि जिससे पुष्टि होती हो कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं है या पूर्व में कभी अतिक्रमण नहीं रहा है। पटवारी हल्का द्वारा विधिवत की गई रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2015 को पारित किया है। जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी ने निर्णय दिनांक 19.07.2019 के द्वारा यथावत रखा है। जिसमें किसी प्रकारं की कोई त्रुटि नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर नायब तहसीलदार तलावड़ा की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2015 व अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.07.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर